बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत गरीब असहाय लोगों को आवास देने का प्रावधान है। एस.ई.सी.सी. 2011 की जनगणना सूची में जिन व्यक्तियों का नाम नहीं है, वैसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण गरीबों को आवास से वंचित रहना पड़ रहा है। एस.ई.सी.सी. 2011 की जनगणनना में नाम रहने की अनिवार्यता को खत्म कर इसे आधार से जोड़ा जाए, ताकि अधिक से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके।

अत: उक्त वर्णित विषय पर सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह./- रीना देवी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 265/2017– 2469 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 23.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, विहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

23/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-6616,दिनांक- 08.07.2010 के आलोक में बेगूसराय जिला में दस कार्यपालक सहायकों का नियोजन कर वरीय उप समाहर्त्ताओं के साथ संबद्ध किया गया। पुन: विभागीय पत्रांक-12702,दिनांक- 19.09.2016 के आलोक में बेगूसराय जिला स्थापना कार्यालय के ज्ञापांक- 1256/स्था.,दिनांक-08.11.2016 द्वारा आठ कार्यरत कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त कर मार्गदर्शन की मांग की गयी। कार्यहित में एवं मार्गदर्शन की प्रत्याशा में बेगूसराय जिला स्थापना कार्यालय के ज्ञापांक- 1388/स्था., दिनांक- 09.12.2016 द्वारा अतिरेक कार्यपालक सहायकों को पुनर्नियोजित किया गया । अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक-सुधार मिशन सोसाइटी,सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-491, दिनांक-12.04.2017 एवं पत्रांक-1272, दिनांक 05.10.2017 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में पुनर्नियोजित अतिरेक कार्यपालक सहायकों को बेगूसराय जिला स्थापना कार्यालय के ज्ञापांक-1258/स्था., दिनांक-03.11.2017 के द्वारा नियोजन मुक्त कर दिया गया है। फलस्वरूप नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायक दर-दर की ठोकर खाने को विवश हैं। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन बेगूसराय द्वारा इन सभी सहायकों की संबद्धता वरीय उप समाहर्त्ता से समाप्त कर समाहरणालय स्थित भिन्न-भिन्न कार्यालयों में की गई। सात साल की कार्य अवधि के दौरान इन लोगों का कार्य सराहनीय था और इनलोगों द्वारा निष्पादित किया जा रहा कार्य भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बावजूद नियोजन मुक्त किया जाना मानवाधिकार का उल्लंघन है।

अत: इन लोगों के भविष्य को देख सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नियोजित करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- संतोष कुमार सिंह, स.वि.प. एवं
ह./- अवधेश नारायण सिंह, स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-251/2017 - 2453(1) वि.प.। दिनांक- 22.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-**29.11.2017** को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सिवान जिलान्तर्गत हसनपुरा जो नया प्रखंड सह अंचल बना है। हसनपुरा में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। जबकि हसनपुरा से 2 कि.मी. हटकर रजनपुरा पंचायत के जलालपुर में पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है।

अत: सिवान जिलान्तर्गत हसनपुरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन निर्माण हसनपुरा से 2 कि.मी. दूर जलालपुर में करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- दुनजी पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-250/2017 - 2452(1) / वि.प.। दिनांक- 22.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग,बिहार/पंचायती राज विभाग,बिहार/भवन निर्माण विभाग,बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-**29.11.2017** को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

22/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिला के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री विनय कुमार सिन्हा, रोकड़पाल श्री विटेश्वर सिंह,एन.जी.ओ. और बैंक कर्मियों की मिली भगत से दस हजार शौचालय निर्माण में करीब 15 करोड़ रूपये की अनियमितता की गयी है। शौचालय निर्माण कर रहे लाभुक के खाते में पैसा देना था। लेकिन उक्त पदाधिकारी मनमानी तरीके से एन.जी.ओ. और अपने अपने रिश्तेदारों के खाते में भी कई चेक से भुगतान किया गया है। ये बड़ी ही गंभीर बात है। 01 मई, 2016 से 23 जून, 2016 के बीच अनियमितता हुई है। मार्च-अप्रैल 2017 का आडिट रिपोर्ट कैसे भेजी गई । इस तरह की घटना अन्य जिला में भी हो रहा है।

अत: उक्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- राधा चरण साह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-249/2017 - 2451(1) /वि.प.। दिनांक-22.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/नगर विकास एवं आवास,विभाग,बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-**29.11.2017** को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

22/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के शहरों के सर्वांगिण विकास के लिए D.P.R, Master Plan की आवश्यकता पड़ती है। इसकी रूप-रेखा बनाने के पूर्व विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु स्थानांतरित होने वाले पदाधिकारीगण के द्वारा ही शहरों के विकास की बैठकें कर योजनाओं की स्वीकृति दी जाती है। जिसके कारण शहरों का विकास कुकुरमुत्ते की तरह हो रहा है।

अत: मैं सरकार से राज्य में शहरों के सर्वांगिण विकास के लिए भविष्य में D.P.R तथा Master Plan की रूप रेखा बनाने में शहरवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता,पदाधिकारियों के साथ किये जाने पर सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- कृष्ण कुमार सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-248/2017 - 2450(1) /वि.प.। दिनांक- 22.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/नगर विकास एवं आवास,विभाग,बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-29.11.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

22/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना नगर के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के सेक्टर-4 में भूतनाथ रोड के पूरब किड्जी स्कूल के समीप एक बड़ा पार्क-भूखंड सर्वथा उपेक्षित है। भूखंड के चारो तरफ कभी ट्रैक बना था, जो टूट रहा है। भीतर खर-पतवार और जंगली पौधे उग आये हैं। आस-पास के निवासी काफी संख्या में सुबह उस अविकसित पार्क के टूटे ट्रैक पर ही टहलने के लिए विवश हैं।

अत: उक्त पार्क के निर्माण हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- रामवचन राय
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-247/2017 - 2443(1) / वि.प.। दिनांक- 22.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/पर्यावरण एवं वन विभाग,बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-29.11.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

दरभंगा शहर में अवस्थित चन्द्रधारी संग्रहालय एवं महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के प्रति कला संस्कृति विभाग के अधिकारीगण ध्यान नहीं दे रहे हैं। चन्द्रधारी संग्रहालय के बीच से रेल का नाला निकाल कर दिग्घी पोखर में कचरा एवं गंदगी बहाया जा रहा है जिसके कारण संग्रहालय आनेवाले पर्यटक परेशान हैं। सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को हटा लिए जाने के कारण चोरी का खतरा बढ़ गया है। तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों को डेढ़ साल से अधिक समय से पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। माली एवं स्वीपर का काम बाहरी मजदूरों से कराया जाता है उनकी मजदूरी भी महीनों से बाकी है। हाथी दांत की दुर्लभ कलाकृतियां अनुरक्षण के अभाव में नष्ट हो रही हैं। पुराने जर्जर बिजली तार के कारण आग लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है लेकिन विद्युत विभाग द्वारा तैयार प्राक्कलन योजना पर विभागीय अधिकारी कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के भवन के जीर्णोद्धार के लिए तैयार की गई योजना पर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस संग्रहालय में शैक्षणिक कार्यों के लिए एक सभागार बनाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों से की जा रही है परन्तु उसकी ओर विभाग उदासीन है।

अत: दोनों संग्रहालयों के सम्यक संचालन एवं विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं पर विभाग द्वारा शीघ्र निर्णय लेकर कार्यान्वित कराने एवं कला संस्कृति विभाग के अधिकारियों की जड़ता दूर करने हेतु विशेष उपाय करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-246/2017 - 2448(1) / वि.प.। दिनांक- 22.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/कला संस्कृति एवं युवा विभाग,बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-**29.11.2017** को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्